मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 25, 1946)

समय 11.00 बजे दिन

1. शपथ /प्रतिज्ञान.

उप चुनाव में निर्वाचित निम्नलिखित सदस्य विधान सभा की सदस्यता संबंधी शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे एवं सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे :-

(1) श्री मुकेश मल्होत्रा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2, विजयपुर),
(2) श्री कमलेश प्रताप शाह (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-123, अमरवाड़ा (अ.ज.जा), तथा
(3) श्री रमाकान्त भार्गव (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-156, बुधनी).

2. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री विजय सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) कैप्टन जयपाल सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री महेश प्रसाद मिश्र, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) चौधरी गंभीर सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री भारत सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) श्री प्रभात झा, भूतपूर्व संसद सदस्य,
(7) श्री आरिफ अकील, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(8) श्री बैजनाथ सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(9) श्री नंदाराम सोरी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(10) श्री के. नटवर सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(11) श्री एस.एम. कृष्णा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(12) श्री रतन नवल टाटा, सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी, तथा
(13) सिक्किम के पाक्योंग में सड़क दुर्घटना में शहीद जवान.

3. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार *(डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत)*, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पटल पर रखेंगे.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री नारायण सिंह कुशवाह, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री** (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा अधिकृत) -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-2023, तथा

(ii) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-2023, एवं

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंकेक्षित लेखे, तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 1852/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 01 अगस्त, 2024,

(ii) क्रमांक 1539/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 26 जून, 2024, एवं

(iii) क्रमांक मप्रविनिआ-संचा.-(एल एण्ड आर)-2024-1540, दिनांक 26 जून, 2024 (शुद्धि पत्र)

पटल पर रखेंगे.

6. जुलाई, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 2 पटल पर रखा जाना.

7. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य,** सिंगरौली जिले में ग्रामीण सड़कों पर अवैध परिवहन से दुर्घटनाएं घटित होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य,** सागर जिले के मालथौन में एक अशासकीय शैक्षणिक संस्था के संचालन में अनियमितताएं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य,** शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बिलौआ पोहरी श्योपुर रोड से कुडी डोभा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री घनश्याम चंद्रवंशी, सदस्य,** शाजापुर जिले के ग्राम जोगखेड़ी से गोंदी जोड़ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) **श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य,** बालाघाट जिले की तहसील लालबर्रा में अधिवक्ता संघ हेतु बार रूम स्थापित कराये जाने,

(4) **इंजी. हरिबाबू राय, सदस्य,** अशोकनगर जिले के ग्राम बारमहू से काकाखेड़ी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य,** मुरैना जिले के रिठौरा मुख्य मार्ग से सरदारों के पुरा होते हुए नाऊओं के पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम बडोनकला रेपुरा मार्ग सोयनाला पर पुल स्वीकृत करने,

(7) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले की जिला पंचायत के संविदा कर्मचारियों की पी.एफ. फण्ड की राशि जमा कराये जाने,

(8) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर जिले के नगर निगम वार्ड क्र. 26 त्यागी नगर में आर.सी.सी. नाला निर्माण एवं पटाव कार्य कराये जाने,

(9) **श्री सुरेश राजे, सदस्य,** ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत इकोना के सुखा पठा में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य,** निवाड़ी जिले के ग्राम दिगवार तिगैला से लमाटा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री श्याम बरड़े, सदस्य,** बड़वानी जिले के पानसेमल में ग्रामों के मुख्य फल्यों के अतिरिक्त अन्य फल्यों में 24 घंटे बिजली व्यवस्था कराये जाने,

(12) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के मनावर अंतर्गत ग्राम चिपराटा भैसलाई में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने,

(13) **श्री महेन्द्र नागेश, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले में जल संसाधन विभाग का कार्यपालन यंत्री स्तर का कार्यालय खोले जाने,

(14) **श्री केशव देसाई, सदस्य,** भिण्ड जिले के ग्राम सढ़-धमसा की बैसली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(15) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम इमिलिया से ककरौआ तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(16) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य,** भिण्ड जिले के ग्राम बलारपुरा अंतर्गत आंगनवाड़ी क्र. 01 व 02 का भवन निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री भगवानदास सबनानी, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्र. 28 संजय कॉम्पलेक्स के पीछे स्थित नाले की सफाई/मरम्मत कराये जाने,

(18) **श्री विपीन जैन, सदस्य,** मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक-14 स्थित रोशन कालोनी में सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(19) **श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य,** झाबुआ जिले के ग्राम बावडीपाल से तोरनिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले के सेमरिया से टिकुरी तक विद्युत केवल लाईन डाले जाने,

(21) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य,** ग्वालियर जिले के भितरवार अंतर्गत ग्राम सांखनी में बारहमासी सड़क का निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य,** सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम पिपलिया सलारसी में दूधी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(23) **श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम जौरा से भांडेर मार्ग स्थित नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(24) **श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य,** सिवनी जिले के केवलारी अंतर्गत ग्राम मुण्डरई से कुडों तक एवं अन्य ग्रामों में सड़क का निर्माण कराये जाने,

(25) **श्री उमंग सिंघार, सदस्य,** सिंगरौली जिले की कोल ब्लॉक की भूमि का अर्जन, पुनर्वास, मुआवजा नियमानुसार दिलाये जाने,

(26) **श्री बाला बच्चन, सदस्य,** बड़वानी जिले के राजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदेड़ में सड़क का निर्माण कराये जाने,

(27) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य,** सिवनी जिले के एन.एच.-44 फोरलेन मार्ग से बिहिरिया मार्ग का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

- 4 -

11. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र.

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2-विजयपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री रामनिवास रावत द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

12. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि :-
"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

13. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री,** मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री,** मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास और धर्मस्व,** मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,** मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,** मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री,** मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 15 दिसम्बर, 2024